

05 अप्रैल 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

सामाजिक मुद्दे:

- सरकार जन्म पंजीकरण के लिए माता-पिता का धर्म दर्ज करेगी:

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

सामाजिक न्याय:

1. विश्वविद्यालयों को कॉलेज की स्वायत्तता के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए:

राजव्यवस्था:

1. भारतीय न्याय संहिता के इन अनुभागों पर दोबारा गौर करें:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. रूसी तेल खरीदने एवं परिष्कृत करने के लिए भारत के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं: अमेरिकी अधिकारी
2. फिलीपींस अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगा:
3. डॉक्टरों की अगली पीढ़ी एएमआर के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करेगी:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

सरकार जन्म पंजीकरण के लिए माता-पिता का धर्म दर्ज करेगी:

सामाजिक मुद्दे:

विषय: भारत में विविधता और भारतीय समाज में मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: जन्म पंजीकरण के लिए माता-पिता का धर्म दर्ज करने में चुनौतियाँ।

संदर्भ:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जन्म पंजीकरण के दौरान माता-पिता को अपना धर्म दर्ज कराने के लिए मॉडल नियम पेश किए हैं।
- इस पहल का उद्देश्य माता-पिता दोनों के धर्म को शामिल करके, केवल परिवार के धर्म को पंजीकृत करने की मौजूदा प्रथा का विस्तार करना है।
- यह संशोधन विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए, जन्म और मृत्यु के राष्ट्रीय डेटाबेस के रखरखाव की सुविधा भी प्रदान करता है।

वर्तमान प्रथा और प्रस्तावित परिवर्तन:

- पहले, जन्म रजिस्टर में केवल बच्चे के परिवार का धर्म दर्ज किया जाता था।
- प्रस्तावित परिवर्तनों में जन्म पंजीकरण फॉर्म पर पिता और माता दोनों के धर्म को दर्ज करना शामिल है।

कानूनी निहितार्थ और डेटाबेस उपयोग:

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 जन्म और मृत्यु के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस के रखरखाव को अनिवार्य करता है।
- इस डेटाबेस का उपयोग विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register (NPR)), मतदाता सूची, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति पंजीकरण आदि को अद्यतन करने के लिए किया जा सकता है।

डिजिटल पंजीकरण प्रणाली:

- यह अधिनियम 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी, नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल (crsorgi.gov.in) के माध्यम से सभी जन्म और मृत्यु के डिजिटल पंजीकरण को आवश्यक बनाता है।
- इस प्रणाली के तहत जारी किए गए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश सहित विभिन्न सेवाओं के लिए आधिकारिक दस्तावेज के रूप में काम करते हैं।

संशोधित पंजीकरण फॉर्म:

- प्रस्तावित संशोधनों में जन्म, मृत्यु, मृत जन्म, गोद लेने और मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाण पत्र से संबंधित मौजूदा प्रपत्रों का प्रतिस्थापन शामिल है।
- नए फॉर्म में अतिरिक्त विवरण जैसे आधार नंबर, माता-पिता के मोबाइल और ईमेल आईडी और अधिक वर्णनात्मक पता अनुभाग शामिल हैं।

राष्ट्रीय डेटाबेस रखरखाव:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेंगे।
- 2023 के संशोधन के अनुसार, मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इस राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ डेटा साझा करने के लिए बाध्य हैं।

समन्वय एवं कार्यान्वयन:

- आरजीआई को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रारों की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करने का अधिकार है।
- कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए पंचायत स्तर तक नागरिक पंजीकरण प्रणाली पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

समस्याएँ:

- गोपनीयता और धार्मिक डेटा के दुरुपयोग के संबंध में संभावित चिंताएँ।
- नए नियमों को सभी राज्यों में समान रूप से लागू करने में चुनौतियाँ।
- डिजिटल पंजीकरण प्रणाली कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता है।

महत्व:

- जन्म पंजीकरण डेटा की बढ़ी हुई सटीकता और पूर्णता।
- एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाएं।
- आधिकारिक दस्तावेजों और सेवाओं तक पहुँचने में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार।

समाधान:

- गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने और धार्मिक डेटा के जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम।
- नए नियमों को प्रभावी ढंग से अपनाने और लागू करने में राज्यों की सहायता के लिए क्षमता निर्माण पहल।
- कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र।

सारांश:

- जन्म पंजीकरण के दौरान माता-पिता के धर्म को दर्ज करने की पहल, अन्य संशोधनों के साथ, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और व्यापक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, संभावित चुनौतियों का समाधान करना और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना इन सुधारों के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

विश्वविद्यालयों को कॉलेज की स्वायत्ता के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: उच्च शिक्षा में महाविद्यालयों की स्वायत्ता का महत्व।

विवरण:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) का लक्ष्य कॉलेजों को स्वायत्त संस्थान बनाना तथा नवाचार, स्व-शासन और रौक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission (UGC)) ने इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए अप्रैल 2023 में एक विनियमन पेश किया, जिससे स्वायत्त स्थिति के लिए आवेदनों में वृद्धि हुई।

स्वायत्तता के लाभ:

- स्वायत्त कॉलेज छात्रों और उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करने, सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार कर सकते हैं, पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं और शिक्षण पद्धतियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं।
- स्वायत्तता जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है, संस्थागत दक्षता बढ़ाती है और संकाय और कर्मचारियों को उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करती है।

रैंकिंग से साझ्यः

- 2023 का राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework (NIRF)) अकादमिक उत्कृष्टता पर स्वायत्तता के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करता है, जिसमें शीर्ष 100 कॉलेजों में से आधे से अधिक स्वायत्त हैं।
- शीर्ष 10 कॉलेजों में से आधे स्वायत्त हैं, जो अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्वायत्तता को एक सफल दृष्टिकोण के रूप में प्रदर्शित करते हैं।

चुनौतियाँ और समाधानः

- कुछ विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर सीमाएँ लगाते हैं, जैसे पाठ्यक्रम में बदलाव की सीमा, कॉलेजों की नवाचार करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है।
- विश्वविद्यालयों द्वारा स्वायत्तता को मान्यता देने में देरी से दक्षता में बाधा आती है और स्वायत्तता की भावना कमज़ोर होती है।
- विश्वविद्यालय पूर्ण स्वायत्तता देने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं, विशेष रूप से पाठ्यक्रम डिजाइन और पाठ्यक्रम परिचय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिससे कॉलेजों की अनुकूलन क्षमता में बाधा आती है।
- संबद्धता के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा लगाई गई मनमानी फीस कॉलेज की स्वायत्तता को कमज़ोर करती है और निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाती है।
- उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषदों को स्वायत्तता, चिंताओं को दूर करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर यूजीसी नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों के साथ विश्वास और सहयोग की संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें शैक्षणिक मानकों को बनाए रखते हुए नवाचार करने की स्वतंत्रता मिल सके।

सारांश:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य कॉलेजों को स्वायत्ता प्राप्त करना, नवाचार और शैक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालयों की चुनौतियों के बावजूद, उच्च शिक्षा में स्वायत्ता के सफल कार्यान्वयन के लिए एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

भारतीय न्याय संहिता के इन अनुभागों पर दोबारा गौर करें:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

विषय: भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान।

मुख्य परीक्षा: भारतीय न्याय संहिता और इसके कुछ अनुभाग से जुड़ी चिंताएँ।

संदर्भ:

- हाल ही में पारित तीन आपराधिक कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2024 को अधिनियमित किया जाना है।

धारा 106(2) और संवैधानिक चिंताएँ:

- कार्यान्वयन में देरी: बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 106 (2) के प्रवर्तन को स्थगित कर दिया गया है, जो अधिकारियों को सूचित किए बिना एक घातक दुर्घटना के बाद भागने पर 10 साल तक के कारावास का आदेश देता है।
- इसकी गंभीरता के बारे में चिंताओं के कारण निर्णय को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ परामर्श की प्रतीक्षा है।
- असंगत दंड: दंड की असंगत प्रकृति से आलोचना उत्पन्न होती है। इस खंड में अन्य कानूनी प्रावधानों के साथ समानता का अभाव है जो इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाता है, विशेष रूप से यह देखते

हुए कि यह दुर्घटना परिदृश्यों में चिकित्सा सहायता की तत्काल आवश्यकता को संबोधित नहीं करता है।

- संवैधानिक अधिकारों के साथ संघर्ष: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 (3) आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि, धारा 106 (2) संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करते हुए, कठोर दंड के खतरे के तहत अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को मजबूर करके इस अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।

धारा 112 के तहत "छोटे संगठित अपराध" का परिचय:

- परिभाषा और अस्पष्टता: धारा 112 "छोटे संगठित अपराध" के अपराध का परिचय देती है, जिसमें समूहों या गिरोहों द्वारा की गई विभिन्न आपराधिक गतिविधियाँ शामिल हैं।
- हालांकि, अस्पष्टता "किसी अन्य समान आपराधिक कृत्य" जैसे अपरिभाषित शब्दों से उत्पन्न होती है, जिससे इस प्रावधान के दायरे और गंभीरता के बारे में अनिश्चितता पैदा होती है।
- सजा विसंगति: धारा 112 के भीतर सजा की रूपरेखा में स्पष्टता का अभाव है, विशेष रूप से "छोटे संगठित अपराध" की श्रेणी में आने वाले अपराधों के लिए अधिकतम सजा के संबंध में। संभावित वाक्यों और "क्षुद्र/छोटे" (petty) के लेबल के बीच विसंगतियां कानूनी सुसंगतता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं।

धारा 303(2) के तहत चोरी के अपराधों में आवश्यक संशोधन:

- संज्ञान की सीमा: धारा 303(2) में चोरी के अपराधों के संबंध में एक प्रावधान शामिल है जहां चोरी की संपत्ति का मूल्य ₹ 5,000 से कम है। यह ऐसे मामलों को गैर-संज्ञेय अपराधों के रूप में वर्गीकृत करता है, जो संभावित रूप से न्याय तक पहुंच को प्रभावित करते हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए।
- कानूनी और व्यावहारिक निहितार्थ: हालांकि हो सकता है कि इसका उद्देश्य पुलिस के कार्यभार को सुव्यवस्थित करना हो, लेकिन यह प्रावधान कानूनी और व्यावहारिक जटिलताएं पैदा कर सकता है।

सीमा राशि हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे उनके निवारण की क्षमता में बाधा आ सकती है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति अपराधों का पंजीकरण न करने से कानून प्रवर्तन प्रयासों में बाधा आ सकती है और संपत्ति बहाली में चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

सज्ञा देने में न्यायिक विवेक का अभाव:

- संवैधानिक चिंताएँ: बीएनएस के भीतर कुछ प्रावधान, जैसे धारा 143 की उप-धारा (6) और (7), न्यायिक विवेक प्रदान किए बिना अनिवार्य आजीवन कारावास लगाते हैं। सज्ञा देने में लचीलेपन की कमी संवैधानिक चिंताओं को जन्म देती है, जो पिछली कानूनी चुनौतियों की याद दिलाती है जिसके कारण अन्य कानूनों में समान प्रावधानों को रद्द करना पड़ा।
- समीक्षा की आवश्यकता: न्यायिक विवेक की अनुपस्थिति सज्ञा की निष्पक्षता और तर्कसंगतता को सीमित करती है, जो संभावित रूप से संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती है। इस प्रकार, कानूनी अखंडता और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रावधानों की व्यापक समीक्षा आवश्यक है।

सारांश:

- 1 जुलाई, 2024 को तीन आपराधिक कानूनों का आसप्रब्र अधिनियमन, असंगत दंड, संवैधानिक संघर्ष और सज्ञा में अस्पष्टता के बारे में चिंताओं पर जांच को प्रेरित करता है, जिससे कानूनी सुसंगतता के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. रूसी तेल खरीदने एवं परिष्कृत करने के लिए भारत के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं: अमेरिकी अधिकारी

संदर्भ:

- यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच, भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद और परिष्कृत/शोधन ने, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से, संभावित नतीजों के बारे में सवाल उठाए हैं।

- हालाँकि, दिल्ली दौरे पर आए अमेरिकी अधिकारियों के हालिया बयानों से पता चलता है कि भारत पर उसकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
- यह विकास वैश्विक संघर्षों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू-राजनीतिक संबंधों की जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालता है।

संघर्ष के बीच व्यापार गतिशीलता:

- यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत के बाद से, भारत और चीन दोनों रूसी तेल के महत्वपूर्ण खरीदार के रूप में उभरे हैं, जो मॉस्को को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के पश्चिमी प्रयासों को चुनौती दे रहे हैं।
- अमेरिका और अन्य जी-7 (G-7) देशों ने रूसी सरकार के राजस्व को सीमित करने के लिए यूराल (Ural) तेल पर "मूल्य सीमा" जैसे उपाय लागू किए हैं।

भारतीय तेल खरीद पर अमेरिकी स्थिति:

- दिल्ली का दौरा करने वाले अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधों और तेल मूल्य सीमा का उद्देश्य भारत जैसे देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद को प्रतिबंधित करना नहीं था, बल्कि क्रेमलिन के राजस्व को सीमित करना था।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय तेल खरीद पूरी तरह से देश की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों और वाणिज्यिक हितों द्वारा निर्देशित होती है।

अमेरिकी उपायों का प्रभाव:

- अमेरिकी प्रतिबंधों और मूल्य सीमा उपायों ने रूसी तेल निर्यात को प्रभावित किया है, जिससे निर्यातकों को मूल्य सीमा नियमों का पालन करने के लिए खरीदारों को भारी छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

- हालाँकि अमेरिकी अधिकारी निर्यात मात्रा को स्थिर करने और रूसी तेल पर छूट की पेशकश करने में सफलता का दावा करते हैं, जबकि यह रिपोर्ट भारतीय खरीदारों के लिए चुनौतियों सुझाती है, जिसमें भुगतान के मुद्दे और प्रतिबंधों के तहत शिपिंग कंपनियों के साथ जटिलताएं शामिल हैं।

भारत-रूस संबंधों का महत्वः

- रूस के साथ भारत का निरंतर जुड़ाव एक स्वतंत्र विदेश नीति की खोज और ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने को दर्शाता है।
- राष्ट्रपति पुतिन द्वारा भारत के रुख को स्वीकार करना और भारतीय बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को उजागर करते हैं।

चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँः

- तेल व्यापार में शामिल रूसी संस्थाओं पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय खरीदारों को तार्किक और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करना आवश्यक हो जाएगा।
- ऊर्जा सुरक्षा और विविध तेल खरीद रणनीतियों पर भारत का जोर वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए लचीली और परिवर्तनीय नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2. फिलीपींस अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगा:

संदर्भः

- सैन्य संबंधों को मजबूत करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से फिलीपींस संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने के लिए तैयार है।

- ये अभ्यास विवादित दक्षिण चीन सागर (disputed South China Sea) में बढ़ते तनाव के बीच होने जा रहे हैं, जहां चीन के क्षेत्रीय दावे पड़ोसी देशों के दावों से टकराते हैं।

संयुक्त नौसेना अभ्यास:

- दक्षिण चीन सागर में 7 अप्रैल को होने वाले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, विशेषकर चीन की मुखरता से निपटने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग और क्षमताओं को बढ़ाना है।

क्षेत्रीय संदर्भ:

- दक्षिण चीन सागर क्षेत्रीय विवादों का केंद्र है, चीन लगभग पूरे क्षेत्र पर दावा करता है, जो फिलीपींस, जापान और अन्य के दावों से विरोधाभासी है।
- हाल के वर्षों में तनाव बढ़ गया है क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जताता है, जिससे पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ गई है।

सैन्य गठबंधन और साझेदारी:

- संयुक्त अभ्यास जापान और फिलीपींस जैसे संधि सहयोगियों सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन को मजबूत करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयासों को दर्शाता है।
- ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन को रेखांकित करती है।

महत्व:

- संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीन के आक्रामक व्यवहार, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के जवाब में समान विचारधारा वाले देशों के बीच एकजुट मोर्चे का संकेत देता है।

- बढ़ा हुआ सैन्य सहयोग संभावित आक्रामकता के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करता है और समुद्री विवादों में नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ:

- चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और मुखरता क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए चुनौतियाँ पैदा करती हैं। चीन के साथ राजनयिक संबंधों को संतुलित करते हुए अन्य देशों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए फिलीपींस और उसके सहयोगियों के लिए सावधानीपूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता है।

3. डॉक्टरों की अगली पीढ़ी एएमआर के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करेगी:

संदर्भ:

- 1920 के दशक में एंटीबायोटिक दवाओं की खोज ने चिकित्सा में क्रांति ला दी, जिससे जीवाणु संक्रमण के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण उपलब्ध हुआ।
- हालाँकि, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध ([antimicrobial resistance \(AMR\)](#)) का उदय हुआ है, जिससे ये दवाएं कम प्रभावी हो गई हैं।
- एएमआर के खिलाफ लड़ाई के लिए शिक्षा, जागरूकता और नेतृत्व सहित बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

वैशिक एएमआर संकट:

- मानव और पशु क्षेत्रों में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक प्रिस्क्रिप्शन और अत्यधिक उपयोग ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विकास को तेज कर दिया है।
- प्रभावी निगरानी की कमी, अपर्याप्त संक्रमण रोकथाम नियंत्रण और अपर्याप्त संसाधन एएमआर बोझ को बढ़ा देते हैं।

पहला का अवलोकनः

- एएमआर डिक्लेरेशन ट्रस्ट और रोटारैक्ट मेडिक्यू ने चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास में प्रबंधन को एकीकृत करके एएमआर को संबोधित करने के लिए सहयोग किया है।
- 'प्रिस्क्राइबर टुडे, स्टीवर्ड टुमॉरो' शीर्षक वाली परियोजना का उद्देश्य भविष्य के चिकित्सा पेशेवरों को एएमआर से निपटने के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाना है।

चुनौतियाँः

- संक्रामक रोगों की उच्च व्यापकता और बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दवाओं तक आसान पहुंच एएमआर में योगदान करती है।
- अपर्याप्त मानकीकृत निगरानी प्लेटफॉर्म और सीमित प्रयोगशाला संसाधन दवा प्रतिरोधी पैटर्न की ट्रैकिंग और निगरानी में बाधा डालते हैं।

महत्वः

- चिकित्सा प्रशिक्षण में प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण है जहाँ रोगाणुरोधी प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल अभ्यास में शामिल है।
- एएमआर पर व्यापक प्रशिक्षण के साथ मेडिकल छात्रों को सशक्त बनाने से तर्कसंगत एंटीबायोटिक उपयोग की समझ विकसित होती है।

महत्वपूर्ण तथ्यः

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नः

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. अग्नि-पी अग्नि वर्ग का उन्नत संस्करण है जिसे आईजीएमडीपी (एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम) के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था।
2. यह दो चरणों वाली, सतह से हवा में और ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

प्रश्न 2. विश्व का पहला तरल दर्पण दूरबीन ILMT कहाँ स्थित है?

- (a) लद्धाख
- (b) उदयपुर
- (c) गुवाहाटी
- (d) नैनीताल

उत्तर: d

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अपने जीवाणुरोधी और एंटिफंगल गुणों के कारण, इथेनॉल (जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है) का उपयोग कई हैंड सैनिटाइज़र और मेडिकल वाइप्स में किया जाता है।
2. ऐसा माना जाता है कि जब ईंधन में इथेनॉल का उपयोग किया जाता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2

- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सीएआर टी-सेल थेरेपी में, रोगियों की टी कोशिकाओं को हटा दिया जाता है और सीएआर टी-कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है।
2. ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के मामले में सीएआर टी-सेल थेरेपी की प्रतिक्रिया दर 90% है। लेकिन अन्य प्रकार के कैंसर के मामले में प्रतिक्रिया दर कम होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 5. भारत में, 'विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी' को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया था? [UPSC 2021]

- (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1998
- (b) पुनर्चक्रित प्लास्टिक (विनिर्मित और उपयोग) नियम, 1999
- (c) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011
- (d) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011

उत्तर: c

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत हाल ही में अधिनियमित आपराधिक

कानूनों के निहितार्थ पर चर्चा करते हुए विशेष रूप से धारा 106(2) के स्थगित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। (20 अंक, 250 शब्द) (सामान्य अध्ययन - II, राजव्यवस्था) (Discuss the implications of the recently enacted criminal laws under the Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, particularly focusing on the deferred implementation of Section 106(2). (20 Marks, 250 Words) (General Studies – II, Polity))

प्रश्न 2. भारत जैसे देशों में एएमआर के बोझ में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए और इस संकट को कम करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। (20 अंक, 250 शब्द) (सामान्य अध्ययन - III, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) (Elaborate on the key factors contributing to the burden of AMR in countries like India and suggest strategies to mitigate this crisis. (20 Marks, 250 Words) (General Studies – III, Science and Technology))

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर किलक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)